तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चैनाराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 34/2023	

20-02-2023

अपीलार्थी चैनाराम जाट पुत्र जगदीशचन्द्र जाट निवासी ग्राम जवासिया तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.11..2022 में (1) मेरे विरूद्ध एवं मेरे द्वारा दर्ज कराये गये फौजदारी प्रकरण के संबंध में भंवरलाल पुत्र नारायणराम सुथार व रघुनाथराम टाक पीपाड़शहर द्वारा मनगंढंत एवं झूठी शिकायत से जांच कराने बाबत् के पत्र श्रीमान मुख्यमंत्री कार्यालय जोधपुर एवं श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीपाड़शहर में शिकायत की गई थी के सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपिया व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 3592 दिनांक 24.01..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक सूचना का अधिकार/2022/3445 दिनांक 26.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतियां निर्धारित राशि जमा करवाने पर कार्य दिवस में प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्धारित सूचना शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है तथा लोक सूचना अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराने पर सूचना उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)